पीपुल्स समाचार, भोपाल
22 SEP 2010

अस्तित्व बनाने की कोशिश

डॉ. स्वाति तिवारी

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि महिला अपने अस्तित्व की स्थापना करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके अर्थात महिला की पहचान होना पहली शर्त है। किंतु जब अस्तित्व ही नहीं होता तो व्यक्तित्व के विकास की बात निरर्थक लगती है। मप्र सरकार ने अपने प्रदेश के विकास के लिए इसी दिशा में कदम बढ़ाए हैं। स्त्री सशक्तिकरण की परिकल्पना तो कईयों ने की लेकिन वह सब नारों, झंडों और बेनरों में उलझ कर रह गए, जबकि जरूरत थी ठोस जमीनी प्रयासों की। प्रदेश में महत्वाकांक्षी लाड़ली लक्ष्मी, कन्यादान, जननी सुरक्षा और बराबरी का हक अर्थात महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण दे शिवराज सरकार ने जता दिया है कि वो पहले महिलाओं का अस्तित्व बनाने के लिए कटिबद्ध है।

मप्र में एक शान्त क्रांति के रूप में गांवों और शहरों के विकास के लिए सत्ता की बागडोर दो लाख से ज्यादा महिलाओं के हाथ में हो गई है। कुल 23040 ग्राम पंचायतों में से 22816 में चुनाव हुए एक लाख 80 हजार महिला पंच, 11 हजार 320 महिला सरपंच, 3400 महिला जनपद सदस्य हैं। इसके साथ ही 415 महिला जिला पंचायत सदस्य, 156 जनपदों और 25 जिला पंचायतों में महिला अध्यक्ष, 1780 महिला पार्षद, 95 नगर पंचायत महिला अध्यक्ष, 32 नगर पालिका महिला अध्यक्ष, 8 नगर निगमों में

महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लागू कर उनका अस्तित्व सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है।

महिला महापौर, यह तो हुआ तस्वीर का एक पहलू, अब दूसरे पर भी नजर दौड़ाएं - शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना को देश भर में सराहा गया। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी योजना में पंजीकृत, परिवार नियोजन अपना चुके और दो बच्चों तक वाली दंपति यदि आयकर नहीं भरती हैं और उनकी एक संतान लड़की है या दूसरी संतान जुड़वां लड़की भी है तो दोनों के नाम 30 हजार रूपए के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद कर उन्हें दे दिए जाएंगे। जिनके ब्याज से वे छठी, नवमी, ग्यारवीं और बारहवीं में क्रमशः 2 हजार, 4 हजार, साढे सात हजार तथा दो वर्ष तक 200 रूपए माह रकम मिलेगी। बालिग होने पर शादी के बाद करीब एक लाख रूपए से ज्यादा मिलेगा। गरीब, कमजोर वर्ग के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं।

इसी तरह मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत 75 हजार के करीब कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है। ठीक इसी तरह जननी सुरक्षा योजना के तहत शिवराज सरकार ने प्रदेश भर की 17 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के लिए मदद उपलब्ध कराई। इससे शिशु मृत्यु दर पर तो रोक लगी ही, साथ ही प्रसूताओं की मृत्यु दर पर भी रोक लगी है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा रोकने के लिए उषा किरण योजना लागू की गई। इसके तहत पीड़ितों को अस्थायी आश्रय कानूनी सहायता चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, 24 घंटे हेल्पलाइन, पुनर्वास सुविधा आवश्यक प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालयों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पीड़ित महिला को चिकित्सीय सहायता के लिए निर्देश दिए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में गांव की बेटी, महिला बटालियन, निःशुल्क साइकिल वितरण, कन्यादान योजना, जननी जैसी तमाम योजनाएं काम कर रही हैं। राजनैतिक सशक्तिकरण की दिशा में भी प्रदेश ने मिसाल कायम की है। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश की महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर होने के लिए विशेष रूप से प्रयासरत है। पिछले चार वर्षों में ऐसा महसूस होने लगा है कि प्रदेश में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो उल्लेखनीय है।